(22)

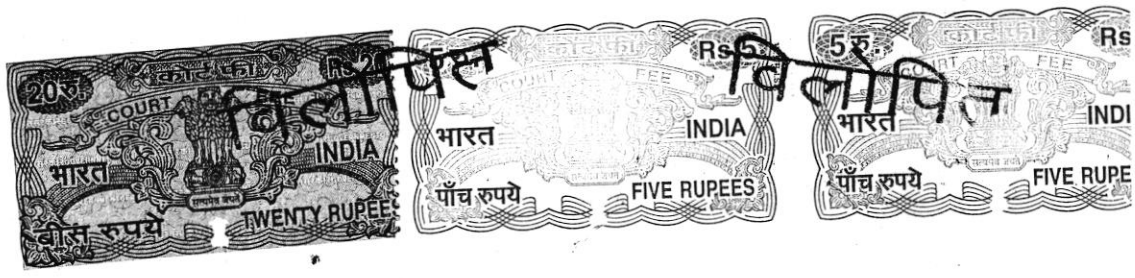

विलोपित विलोपित

<u>न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र</u>

निगरानी-3133/2018/जबलपुर/स्टांअधि प्र.क्र.

श्री सुनील सिंह भदौरिया द्वारा आज दि. 21-5-18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

भारती इंफ्राटेल लिमिटेड
द्वारा श्री गौरव तिवारी आ. श्री सोम प्रकाश तिवारी
सहायक प्रबंधक-कानूनी और नियामक (म.प्र.- छ.ग.)
भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड, मैट्रो टावर एच-3
चैथी मंजिल, इंदौर, म.प्र.
चतुर्थ मंजिल, मेट्रो टॉवर,
विजय नगर चौराहा, इंदौर(म.प्र) ....पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

१.म.प्र शासन द्वारा उपपंजीयक जबलपुर

२.आयुक्त नगर निगम जबलपुर

३ श्री दीप कुमार आसवानी आत्मज स्व.श्री सेउमल सिंधी

निवासी प्लाट न 1004-1005 रबिन्द्रनाथ टैगोर

वार्ड बल्देवबाग थाना के पास बल्देवबाग जबलपुर ....अनावेदकग

<u>पुनेरिक्षण अंतर्गत 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम १९८८</u>

उक्त पुनरीक्षण अधिनस्त न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ़ स्टाम्प एवं जिला पंजी जिला जबलपुर म.प्र द्वारा प्र क्र 621/बी-103/48(ख)/2014-15 मे पारित आलोच्य अं आदेश दिनाक 08/12/15 के विरुद्ध दुखीत एवं परिवेदीत होकर आदेश की सत्य प्रति की प्राप्ती दिनांक 12/04/2018 से समय अवधी में प्रस्तुत की जा रही है।

<u>पुनरीक्षण के तथ्य</u>

सुनील सिंह भदौरिया 21-5-18

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ... 21/5/18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3133/2018/जबलपुर/स्टाम्प

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11–10–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 621/बी–103/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 के विरूद्व धारा 56 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 2 वर्ष 10 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	